



## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

प्र०क० रिवू..... ।/16

ठिक्क- १०१२- ई-१६

रतनसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाटव निवासी  
ग्राम नूरमपुरा तह० गोहद जिला भिण्ड  
मोप्र० .....आवेदक

ग्राम श्रीकृष्ण गांव, ठामुखन्द

दारा आज दि. २६/३/१६ को

बनाम

प्रस्तुत

प्रोटोकॉल अंक ३१८१४५८  
प्रस्तुत दिनांक २६/३/१६  
एलकॉ ऑफ कोर्ट नाम ठामुखन्द  
राजस्व मण्डल मुप्र गवालियर गांव  
ग्राम श्रीकृष्ण गांव

१—फूलसिंह	२—चिन्तेली	३—अमरसिंह
४—श्रीमाराम पुत्रगण बोबदी जाति काढी		

निवासी ग्राम मधन तह० गोहद जिला भिण्ड  
मोप्र० .....अनावेदक

उत्तराधीन  
पुनर्विलोकन विरुद्ध आदेश दिनांक 20/01/2016

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर पीठासीन

अधिकारी महोदय श्री एम० के० सिह सदस्य प्र०क० R 2352

—चार/2000 अन्तर्गत धारा 51 मोप्र० भू—राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

- 1— यह कि भूमि सर्वे को २रकवा ०.६६२ है० पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर विवादित भूमि पर आवेदक का दिनांक ०२/१०/१९८४ के पूर्व से काबिज होकर कारत करता चला आ रहा है।
- 2— यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय गोहद के समक्ष एक आवेदन पत्र मोप्र० कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम १९८४ के अन्तर्गत विवादित भूमि को अपने नाम भूमि रवामी रखत्व पर व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत किया जो प्र०क० ५१/९४-९५× ३/१९ पर पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक २८/०४/१९९५ द्वारा विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किया गया।
- 3— यह कि अनावेदक द्वारा तहसील के आदेश के विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद के समक्ष अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की जो प्र०क० ०३/९८-९९ अपील पर पंजीबद्ध की जाकर पारित आदेश दिनांक २०/०७/१९९९ द्वारा अनावेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया कि मोप्र० कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम १९८४ के

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1012 -एक/2016 पुनरावलोकन

जिला भिन्न

तारीख तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
19.8.16.	<p>यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2352-चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 शर्मा एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि नायव तहसीलदार गोहद ने प्र0क0 51 अ-19/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 28-4-1995 से आवेदक के हित ने ग्राम मध्यन की भूमि सर्वे नंबर 11 रकबा 1.83 फैवर्ट भूमि दखल रहित नियमों में व्यवस्थापित की है जिसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी 2-8-99 को अनुचित विलम्ब से दायर करके व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि व्यवस्थापित होने के बाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाऊ बनाया है और सिंचाई का साधन बनाया है जिसमें उसके काफी रूपये खर्च लो गये हैं। आवेदक से यह भूमि शासन वापिस लेता है तो आवेदक कृषि श्रमिक होने के कारण बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पायेगा।</p>	

HJS

(M)

प्र०क० १०१२ -एक/२०१६ पुनरावलोकन

अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि नियम विरुद्ध भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध कभी भी निगरानी की जा सकती है काल सीमा की रुकावट नहीं है। आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये पात्र नहीं है इसलिये कलेक्टर एंव आयुक्त के आदेश सही हैं। राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के आदेश दिनांक २०-१-१६ में हस्तक्षेप न करने की मांग रखी गई।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक २३५२-चार/२००० निगरानी में पारित आदेश दिनांक २० जनवरी, २०१६ के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि नायव तहसीलदार गोहद के व्यवस्थापन आदेश दिनांक २८.४.९५ के विरुद्ध कलेक्टर ने २-८-९९ को यानि ०४ वर्ष ०३ माह वाद निगरानी प्रकरण दर्ज किया है। प्रताप सिंह तथा एक अन्य विरुद्ध म०प्र०राज्य १९९७ रा०नि० २१९ न्यायमूर्ति श्री एस०एस०झा (हा०को०) का दृष्टांत है कि जमीन पर संबत २००६ से कब्जा होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने २१-४-७२ को नाम दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर ने ०७ वर्ष वाद स्वप्रेरणा से वादी का नाम विलोपित करने का आदेश दिया एंव नाम विलोपित किया गया। न्यायालय द्वारा विलम्ब से पुनरीक्षण को अनुचित मानते हुये वादी के पक्ष में डिकी पारित की। विचाराधीन प्रकरण में आदेश दिनांक २० जनवरी, २०१६ पारित करते समय अनुचित विलम्ब के तथ्य पर विचार होना दृष्टि ओङ्काल होने से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है।

B/14

(M)

- 4 -

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकारण क्रमांक 1012 -एक/2016 पुनरावलोकन

जिता भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	<p>क्योंकि कलेक्टर भिण्ड ने नायव तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 28-4-1995 के विरुद्ध 04 वर्ष 03 माह वाद अनुचित विलम्ब से निगरानी दायर करके वर्ष 1999 में व्यवस्थापन निरस्त किया है जो अनुचित विलम्ब से है क्योंकि माना व्यायालयों ने निगरानी के लिये एक वर्ष की अवधि को भी आयुक्तियुक्त माना है। इसी प्रकार के दृष्टांत लखन तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 1990 रा.नि. 214 तथा संता चमार विरुद्ध ललवा चमार 1990 रा.नि. 90 में हैं।</p> <p>5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कबुसार, कि भूमि व्यवस्थापित होने के बाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाउ बनाया है और सिंचाई का साधन कर लिया है जिसमें उसके काफी रूपये खर्च हो गये हैं, पर विचार किया जाय-- इन्दू सिंह लथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा.नि. 251 का व्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का व्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गजा। आवंटिति को भूमेस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द</p>	

प्र०क० १०१२-एक/२०१६ पुनरावलोकन  
नहीं किया जा सकता और यही तथ्य आदेश दिनांक  
१० जनवरी, २०१६ पारित करते समय दृष्टिओङ्गल रहने से  
पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य है।

६/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन  
स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर द्वारा  
प्रकरण क्रमांक २३५२-चार/२००० निगरानी में पारित आदेश  
दिनांक २० जनवरी, २०१६ तथा आयुक्त, चंबल संभाग,  
मुरैना द्वारा प्र०क० २/१९९९-२००० निगरानी में पारित  
आदेश दिनांक ३०-१०-२०००, कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण  
क्रमांक २२२३/१९९८-९९ निगरानी में पारित आदेश दिनांक  
२८-९-९९ वृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव नायव  
तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक ५१ अ-१९/  
१९९४-९५ में पारित आदेश दिनांक २८-४-१९९५ स्थिर  
रखा जाता है।



सदस्य

